निग — 2005-I-16

# न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क्र. / 2016 निगरानी

1. मुस.रामकली वेवा अयोध्याप्रसाद ब्राह्मण
2. रामकिशोर पुत्र अयोध्याप्रसाद ब्राह्मण निवासीगण नरदहा मंजरा बहरी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0
3. पार्वती वेवा वंशप्रताप ब्राह्मण निवासी ग्राम नरदहा मजरा बहरी तहसील अजयगढ़
4. आनंन्द बिहारी पुत्र वंशप्रताप ग्राम नरदहा मजराबहरी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र वंशप्रताप ब्राह्मण निवासी ग्राम नरदहा मजरा बहरी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र
6. मनोज कुमार पुत्र वंशप्रताप ब्राह्मण निवासी ग्राम नरदहा मजरा बहरी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
7. सुनैना पुत्री वंशप्रताप पत्नि मोती निवासी ग्राम रसिन तहसील अर्तरा जिलला बादा उ0प्र0
8. मैना पुत्री वंशप्रताप निवासी ग्राम नरदहा मजरा बहरी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0

——आवेदकगण

बनाम

1. वंशरूप पुत्र हीरालाल ब्राह्मण
2. मुन्नी पुत्र हीरालाल

श्री ... द्वारा आज दि. 23-6-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3. फूलचन्द्र पुत्र हीरालाल समस्त निवासी ग्राम नरदहा मजरा बहरी तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0

——अनावेदकगण

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रक. 580/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत।**

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

**निगरानी के संक्षेप में तथ्य** :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, स्थित भूमि ग्राम नरदहा तहसील अजयगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल धर्मपुर जिला पन्ना में है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क. 1631, 1934, 1936 लगायत 1946, 1948 लगायत 1951, 1955 लगायात 1963, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972 लगायात 1974, 1976, 1978, 1980, 1981, 2010 लगायत 2012, 2522 व 2524 कुल किता 43 कुल रकवा 15.07 हे., लगान 63.10 रूपये। जिसके समान भाग के भूमिस्वामी है। आपसी सहमती के आधार पर नायब तहसीलदार न्यायालय अजयगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 178 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क. 03/अ–27/1998–99 पर पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत उद्घोषा जारी की गई। आपत्तीयां आहुत की गई हल्का पटवारी को तलब किया गया पटवारी से स्थल पर जाकर फर्द बटबारा बनबाई गई तथा फर्दो पर उभय पक्ष की आपत्ती आहुत की गई। समयावधि में किसी भी सहखाते दार की कोई आपत्ती अभिलेख पर प्रस्तुत नही की गई बटबारा नियमो का पालन करते हुये सहमती के आधार पर बटबारा आदेश दिनांक 23.02.1999 से पारित किया गया।

2. यह कि, उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनु.वि.अधि. अजयगढ़ जिला पन्ना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसका प्रकरण क. 38/अपील/अ–27/2014–15 पर दर्ज की जाकर अपील में पारित आदेश दिनांक 30.04.2016 से अपील को म्याद के अन्दर मान्य किया गया जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसका प्र.क. 580/अपील/15–16 पर दर्ज की जाकर उक्त अपील को आदेश दिनांक 08.06.2016 से इस आधार पर अस्वीकार कर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2005–एक/16 जिला – पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22\12\17 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 580/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 8–6–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसीलदार, अजयगढ़ जिला पन्ना द्वारा प्र0क0 3/अ–27/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 27–2–1999 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 24–2–15 को अपील पेश की । अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 30–4–16 द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत विलंब क्षमा करते हुए अपील को म्याद अंदर प्रस्तुत करना मान्य किया एवं प्रकरण गुणदोषों पर तर्क हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की ।<br>3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।<br>4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरसत किये जाने का | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अवधि विधान के अंतर्गत विलंब क्षमा करने के आवेदन को स्वीकार करने के विरूद्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पश्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तथा मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त का आदेश भी अपकने स्थान पर उचित एवं न्यायिक है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए उक्त आदेश की अपील अपर आयुक्त समक्ष नहीं की जा सकती है अतः उन्होंने अपील को प्रचलन योग्य न मानते हुए निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापिस हो ।

प्रशा0 सदस्य